न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 46/2023

उनवान :

विनोद पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. ईश्वर पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. राजबाला पुत्री जयसिंह पत्नी लीलूराम जाति जाट निवासी भिरानी हाल दुर्जनपुर तहसील व जिला हिसार।
4. सुशीला पुत्री जयसिंह पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी भिरानी हाल निवासी ललाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री दलवीर सिंह बैनीवाल : **वादी**

वकील श्री प्रह्लाद शीला : **प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 28.03.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 8 जे0एस0एल0 के खाता सं0 56/56 के मु0 न0 66 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, मु0 न0 67 के कि0 न0 1, 10, 11, 20, मु0 न0 70 के कि0 न0 21, 22, 23, मु0 न0 71 के कि0 न0 21 ता 25, मु0 न0 72 के कि0 न0 25, मु0नं0 113 के कि0न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24 मु0न0 114 के कि0न0 1 ता 15, 19, 20 मु0 न0 115 के कि0 न0 1 ता 3, 8 ता 12 की कुल 15.7750 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम 2241/15775 हिस्सा तथा रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 144/269 के मु0 न0 77 के कि0 न0 24/1, 25/1, मु0 न0 91 कि0 न0 4 ता 7, 14, 15 कुल 1.7850 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह के नाम 33/160 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साथ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में विनोद कुमार पुत्र [illegible] तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम 8 [illegible] खाता संख्या 56/56 सम्वत 2071–74 प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम [illegible] 2077 प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत 2059–2062 खाता संख्या 161/146 [illegible] प्रदर्श 3, शपथ पत्र विनोद कुमार पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी भिरानी प्रदर्श 4 जमाबंदी रोही मौजा भिरानी संवत 2062–2065 खाता संख्या 353/343 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:42:21 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म

Scanned with CamScanner

से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम रोही मौजा भिरानी व 8 जे0एस0एल0 के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व शपथ पत्र प्रदर्श 1 से 5 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा 8 जे0एस0एल0 के खाता सं0 56/56 के मु0 न0 66 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, मु0 न0 67 के कि0 न0 1, 10, 11, 20, मु0 न0 70 के कि0 न0 21, 22, 23, मु0 न0 71 के कि0 न0 21 ता 25, मु0 न0 72 के कि0 न0 25, मु0नं0 113 के कि0न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24 मु0न0 114 के कि0न0 1 ता 15, 19, 20 मु0 न0 115 के कि0 न0 1 ता 3, 8 ता 12 की कुल 15.7750 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम 2241/15775 हिस्सा तथा रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 144/269 के मु0 न0 77 के कि0 न0 24/1, 25/1, मु0 न0 91 कि0 न0 4 ता 7, 14, 15 कुल 1.7850 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह के नाम 33/160 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह अकेले की बजाय वादी विनोद कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2 ईश्वर को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जावे । चूंकि प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 8 जे0एस0एल0 के खाता सं0 56/56 के मु0 न0 66 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, मु0 न0 67 के कि0 न0 1, 10, 11, 20, मु0 न0 70 के कि0 न0 21, 22, 23, मु0 न0 71 के कि0 न0 21 ता 25, मु0 न0 72 के कि0 न0 25, मु0नं0 113 के कि0न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24 मु0न0 114 के कि0न0 1 ता 15, 19, 20 मु0 न0 115 के कि0 न0 1 ता 3, 8 ता 12 की कुल 15.7750 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम 2241/15775 हिस्सा तथा रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 144/269 के मु0 न0 77 के कि0 न0 24/1, 25/1, मु0 न0 91 कि0 न0 4 ता 7, 14, 15 कुल 1.7850 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह के नाम 33/160 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह अकेले की बजाय वादी विनोद कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2 ईश्वर को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28-03-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:42:21 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamSca

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 46/2023

अनवान :

विनोद पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. ईश्वर पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. राजबाला पुत्री जयसिंह पत्नी लीलूराम जाति जाट निवासी भिरानी हाल दुर्जनपुर तहसील व जिला हिसार।
4. सुशीला पुत्री जयसिंह पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी भिरानी हाल निवासी ललाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दलवीर बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री प्रहलाद शीला की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 8 जे0एस0एल0 के खाता सं0 56/56 के मु0 न0 66 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, मु0 न0 67 के कि0 न0 1, 10, 11, 20, मु0 न0 70 के कि0 न0 21, 22, 23, मु0 न0 71 के कि0 न0 21 ता 25, मु0 न0 72 के कि0 न0 25, मु0नं0 113 के कि0न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24 मु0न0 114 के कि0न0 1 ता 15, 19, 20 मु0 न0 115 के कि0 न0 1 ता 3, 8 ता 12 की कुल 15.7750 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम 2241/15775 हिस्सा तथा रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 144/269 के मु0 न0 77 के कि0 न0 24/1, 25/1, मु0 न0 91 कि0 न0 4 ता 7, 14, 15 कुल 1.7850 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह के नाम 33/160 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह अकेले की बजाय वादी विनोद कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2 ईश्वर को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:42:21 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner